संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979

(1979 का अधिनियम संख्यांक 24)

[20 मई, 1979]

भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है कतिपय संघ उत्पाद-शुल्कों के शुद्ध आगमों के भाग के समतुल्य राशि या संदत्त करने का, तथा वित्त आयोग द्वारा [1][25 नवम्बर, 1994 की रिपोर्ट] में सिफारिश किए गए सिद्धान्तों के अनुसार उन राज्यों में उन राशियों के वितरण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 है ।

(2) यह 1979 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

[2][**2. परिभाषा**—इस अधिनियम में "वितरणीय संघ उत्पाद-शुल्क" पद से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा संघ उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के लिए किसी अन्य विधि के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे शुल्क के शुद्ध आगम का [3][साढ़े सैंतालीस] तक के सिवाय अभिप्रेत है, जब तक कि संघ उत्पाद विधि द्वारा शुल्क के आगम किसी विशेष प्रयोजन के लिए निश्चित नहीं किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—"शुद्ध आगम" पद का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 279 के खंड (1) में है ।]

[4][**3. संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के भाग के समतुल्य राशियों का राज्यों को संदाय और उनमें राशियों का वितरण**—1 अप्रैल, 1995 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष और उत्तरवर्ती चार वित्तीय वर्षों से प्रत्येक के दौरान, भारत की संचित निधि में से उस वर्ष में उद्गृहीत और संगृहीत वितरणीय संघ उत्पाद-शुल्क के समतुल्य राशियां राज्यों को संदत्त की जाएंगी और—

(क) प्रत्येक ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार संदेय राशियों का सोलह बटा उन्नीस भाग, नीचे की सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को ऐसे प्रतिशत में वितरित किया जाएगा जो उसके स्तम्भ (2) में उसके सामने दिया गया है; और

(ख) प्रत्येक ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार संदेय राशियों का तीन बटा उन्नीस भाग, नीचे का सारणी 2 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को ऐसे प्रतिशत में वितरित किया जाएगा जो उस वित्तीय वर्ष की बाबत उसके स्तम्भ (2) में उसके सामने दिया गया है ।

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979

सारणी 1

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	8.465
अरुणाचल प्रदेश	0.170
असम	2.784
बिहार	12.861
गोवा	0.180

[1] 1995 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1989 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा धारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1995 के अधिनियम सं० 31 की धारा 3 द्वारा "पैंतालीस प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1995 के अधिनियम सं० 31 की धारा 4 द्वारा धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1)	(2)
गुजरात	4.046
हरियाणा	1.238
हिमाचल प्रदेश	0.704
जम्मू-कश्मीर	1.097
कनार्टक	5.339
केरल	3.875
मध्य प्रदेश	8.290
महारष्ट्र	6.126
मणिपुर	0.282
मेघालय	0.283
मिजोरम	0.149
नागालैंड	0.181
उड़ीसा	4.495
पंजाब	1.461
राजस्थान	5.551
सिक्किम	0.126
तमिलनाडु	6.637
त्रिपुरा	0.378
उत्तर प्रदेश	17.811
पश्चिमी बंगाल	7.471

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979

सारणी 2

राज्य (1)	वित्तीय वर्ष और प्रतिशत (2)				
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	12.069	7.988	0.000	0.000	0.000
अरुणाचल प्रदेश	3.410	4.300	5.871	6.224	6.667
असम	8.543	9.836	11.849	10.748	9.290
बिहार	6.434	2.965	0.000	0.000	0.000
गोवा	0.973	1.058	1.161	0.000	0.604
हिमाचल प्रदेश	8.816	10.744	14.057	14.230	14.338
जम्मू-कश्मीर	13.366	16.491	21.985	22.741	23.700
मणिपुर	3.930	4.891	6.602	60917	7.348
मेघालय	3.590	4.403	5.815	5.994	6.130
मिजोरम	3.676	4.628	6.278	6.784	7.074

राज्य (1)	वित्तीय वर्ष और प्रतिशत (2)				
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
नागालैंड	5.818	7.417	10.247	11.072	12.025
उड़ीसा	4.815	5.248	4.934	2.773	0.680
राजस्थान	0.835	0.000	0.000	0.000	0.000
सिक्किम	1.199	1.473	1.938	1.982	2.055
त्रिपुरा	5.465	6.807	9.263	9.618	10.089
उत्तर प्रदेश	17.061	11.751	0.000	0.000	0.000

4. संदाय का भारत की संचित निधि पर भारित होना—धारा 3 के अनुसरण में संदाय पर हुआ व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा ।

———